जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2021/4009 दिनांक 22/4/2021

कार्यालयीन आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/अधीक्षकों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/11-09/2020/1-9,भोपाल दिनांक 20.04.2021, एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डा अधिकारी ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू/स्टो./एडीएम/धारा-144/250/2021 ग्वालियर, दिनांक 21.04.2021 के द्वारा कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक विभाग प्रमुख को निम्न निर्देश जारी किये जाते है:-

1. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाए अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन,फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति,नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक, परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित है।
2. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 01 में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नही आते है। वे Work From Home करेगे एवं आवश्यकतानुसार बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थिति देंगे।
3. 10 प्रतिशत रोटेशन की व्यवस्था केवल कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान ही होगी शेष दिवसों में नही।
4. कार्यालय में शैक्षणिक/अशैक्षिणक स्टाफ की उपस्थिति 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी इसका निर्धारण संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा रोटेशन के आधार पर किया जावेगा शेष 90 प्रतिशत कर्मचारी दूरभाष पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें।,
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जावें।
6. कार्यालय में आने वाले समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों से आपेक्षित है कि वे कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में निर्धारित मापदंडो का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
7. शिक्षण कार्य तथा 5 से अधिक प्रतिभागियों की संख्या वाली बैठकों को ऑनलाईन आयोजित किया जायें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/कर्मचारी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

सहा/उप-कुलसचिव (प्रशा0)

1685